

कार्यालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोक
क्रमांक :-

दिनांक :-

॥ कार्यालय आदेश ॥

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश क्रमांक पीए/आरजी/विविध/2021/966 दिनांक 23.04.2021 द्वारा दिनांक 24.04.2021 का कार्यस्थगन किये जाने के कारण दिनांक 24.04.2021 को अधीनस्थ न्यायालयों में कार्य स्थगन होने से दिनांक 24.04.2021 को टोक न्यायक्षेत्र में कार्यरत सभी न्यायालयों के अभिरक्षा/ अभिवृद्धि (रिमाण्ड), अन्य आवश्यक प्रकृति के समस्त न्यायिक कार्य एवं प्रोटोकॉल आदि से संबंधित कार्य सम्पादित किए जाने के लिए स्वाति भगवती, न्यायिक मजिस्ट्रेट, दूनी को अधिकृत किया जाता है।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोक

क्रमांक :-

दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, टोक
2. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोक/उनियारा/मालपुरा/निवाई
3. न्यायिक मजिस्ट्रेट टोक/देवली/टोडारायसिंह/मालपुरा/उनियारा/निवाई/दूनी
4. अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट देवली/न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय देवली
5. पुलिस अधीक्षक महोदय, टोक
6. अधीक्षक जिला कारागृह, टोक
7. जिला आवकारी अधिकारी, टोक
8. सहायक समादेष्टा निरोधक दल, टोक
9. पुलिस कंट्रोल रूम, टोक
10. प्रतिलिपि सिस्टम ऑफिसर को जारी कर आदेश दिया जाता है कि वे उक्त आदेश को जिला न्यायालय, टोक की वेबसाईड पर अपलोड करें।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोक